F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1 Government of India Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals & Petrochemicals

Shastri Bhavan, New Delhi Dated the 30th September, 2022

To,

The Manager
Government of India Press,
Mayapuri,
New Delhi-110064

Subject: Quality Control Order for twelve (12) QCOs.

Sir,

I am directed to forward herewith electronic copies of twelve (12) notifications namely (i) Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (ii) Maleic Anhydride (iii) Styrene (Vinyl Benzene) (iv) Acrylonitrile (v) Polyethylene Material For Moulding And Extrusion (vi) Linear Alkyl Benzene (vii) Polyester Continuous Filament Flat Drawn Yarn (FDY) (viii) Polyester Partially Oriented Yarns (POY) (ix) Polyester Staple Fibres (PSF) (x) Polyester Industrial Yarn (IDY) (xi) 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (xii) Synthetic micro-fibres for use in cement based matrix dated 29th September, 2022 and to say that the same may be published in the official Gazette.

2. It is certified that the contents of the soft copies has also been approved by the competent authority.

Yours Faithfully,

(Varun Singh Poonia)

Dy. Industrial Advisor,

Tele: 23389010 Email: varun.sp@gov.in

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली,2 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

2 पात कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1643 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the 2 September, 2022

- S.O.----(E). In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- **1. Short title and commencement. –** (1) This order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
- "Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1643(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण), 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) यह 24 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

2-वेपात कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1644 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

S.O.----(E). - In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022, namely:—

- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the Maleic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number 1644(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली,29 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, स्टाइरीन(विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह 24 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित्र, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

25 पांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1645 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

S.O.-----(E).- In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022, namely:—

- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
- "Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1645(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 🗷 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) यह 24 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित₅उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-॥ 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

2 के राज के भार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1646 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- **S.O.-----(E).-** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the Acrylonitrile (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 24th day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
- "Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]



SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1646(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

का.आ ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकिहत में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-:

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सटूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. मोल्डिंग और एक्सटूज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्- : "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-: "टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित्, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

रुपात कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1647 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- **S.O.-----(E).-** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
- "Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1647(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1
 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, सारणी के बाद, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित्र उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। (फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

रेडु गाँग कु भार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1648 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- **S.O.-----(E).-** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- **1. Short title and commencement. –** (1) This order may be called the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—
- "Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

50

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022, *vide* number S.O. 1648(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

"सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (एफ डी वाई)	आईएस 17261:2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित्, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

रें पार कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1649 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) Order

New Delhi, the September, 2022

- **S.O.-----(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (FDY)	IS 17261:2022	Textile-Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarns - Specification

Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1649(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर पारिशयली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर पारिशयली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिएस्टर पारिशयली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 की सारणी को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (पी ओ वाई)	आईएस 17262: 2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (पीओवाई)- विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित्क उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1650 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- S.O.----(E).- In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Partially Oriented Yarns (POY)	IS 17262:2022	Textile - Polyester Partially Oriented Yarns (POY) - Specification

Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

Sp

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1650(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 🚝 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

"सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (पी एस एफ)	आईएस 17263:2022	टेक्सटाइल - पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित्र-उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

23 रूरी के भार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1651 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- S.O.----(E).- In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Staple Fibres (PSF)	IS 17263:2022	Textile - Polyester Staple Fibres - Specification

Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1651(E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

- का.आ. ... (अ) केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात , की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

"सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (आई डी वाई)	आईएस 17264: 2022	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

सुशांत कुमार पुरीहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1652 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- **S.O.----(E).-** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Industrial Yarn (IDY)	IS 17264:2022	Textile - Polyester Industrial Yarn - Specification

Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

58

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1652 (E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

"सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन	आईएस 17265:2022	टेक्सटाइल - 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे
ग्रे एंड व्हाइट यार्न (पी एस		एंड व्हाइट यार्न - विनिर्देश
वाई)		

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1653 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September, 2022

- S.O.----(E).- In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY)	IS 17265:2022	Textile - 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn - Specification

Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

50

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1653 (E), dated the 5th April, 2022.

भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2022

का.आ. ... (अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, की यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, सिंधेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण), संशोधन आदेश, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के, पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह 3 अप्रैल, 2023, को प्रवृत्त होगा।"
- 3. उक्त आदेश में, पैरा 4 के पश्चात सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

"सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स	आईएस16481:2022	टेक्सटाइल्स- सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स - विनिर्देश

टिप्पण: सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऐसे संशोधनों सहित, उसका नवीनतम संस्करण, जिन्हें समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

(फाइल संख्या पीसी-॥ 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-1)

23 गांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सर्विव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 6 अप्रैल, 2022 में का.आ. संख्या 1654 (अ) तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

Order

New Delhi, the September,

S.O.----(E). - In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2022, namely:—

- **1.** Short title and commencement. (1) This order may be called the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2022 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) It shall come into force on the 3rd day of April, 2023."
- 3. In the said Order, after paragraph 4, for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:—

"TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix	IS 16481:2022	Textile - Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix - Specification

Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification".

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt- 1]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Joint Secretary

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th April, 2022 *vide* number S.O. 1654 (E), dated the 5th April, 2022.

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3927 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 88(अ) तारीख 07 जनवरी, 2022, संख्यांक का.आ. 1069(अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4136(अ) तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1121(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of June, 2023".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3927(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 88(E), dated the 7th January, 2022, S.O. 1069(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4136(E), dated the 2nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली. 9 मार्च. 2023

का.आ 1122(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3930 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1071 (अ) तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4138 (अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1122(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** -(1) This order may be called the Polycarbonate (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2024".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3930(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 1071(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4138(E), dated the 2nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ 1123(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3932 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 862 (अ) तारीख 25 फरवरी, 2022, संख्यांक का.आ. 1072 (अ), तारीख 10 मार्च 2022 और संख्यांक का.आ. 4139 (अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1123(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2024".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3932(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 862(E), dated the 25th February, 2022, S.O. 1072(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4139(E), dated the 02nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ 1124(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3928 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1070 (अ) तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4137 (अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1124(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Ethylene Dichloride (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2024".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3928(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 1070(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4137(E), dated the 2nd September, 2022.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244249 CG-DL-E-10032023-244249

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077] No. 1077] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ 1121(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 जून, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

1572 GI/2023 (1)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3927 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 88(अ) तारीख 07 जनवरी, 2022, संख्यांक का.आ. 1069(अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4136(अ) तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1121(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of June, 2023".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3927(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 88(E), dated the 7th January, 2022, S.O. 1069(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4136(E), dated the 2nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली. 9 मार्च. 2023

का.आ 1122(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव